—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 235 / 2024

उनवान

1. गोपाल सिंह
2. देवकरण
3. कान सिंह
4. इन्द्रा
5. रेखा
6. चन्द्रलता पि. भारमल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दौराई, अजमेर।

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोमी
2. गंगा पि. कल्याण
3. कंचन
4. कमला
5. माया
6. रामदेव
7. शैतान पि. जीवण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
8. मैनेजर, बैंक आर्फ बडौदा, नसीराबाद
9. उप पंजीयक, नसीराबाद
10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
11. बडौदा राजस्थान श्रेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, लोहरवाडा, नसीराबाद
12. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेंदरिया, अजमेर।

—— प्रतिवादीगण :— 5 व 7 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
9 व 10 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 3.2.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4320 / 0.42, 4321 / 0.09, 4322 ... 4318 / 0.88 की आराजी दिनांक 23.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 3 से ... क...ा जीवण से उनका उनका आधा हिस्सा वादीगण की माता कमला पत्नि भारमल ने ... किया था। तत्समय भूमि रहन होने के कारण नामान्तकरण नही हो ... भूमि रहनमुक्त होने ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नामान्तकरण के प्रयास करने पर ज्ञात हुआ कि विक्रय पत्र में कमला का पता दौराई के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से देराठू हो गया है। वादीगण की माता कमला की मृत्यु हो गयी है। उक्त कारणवश आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण केता/वादीगण के नाम नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। व अन्यत्र हस्तांतरण कने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6, 8 11, 12 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 5 व 7 ने जवाब पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4320/0.42, 4321/0.09, 4322/1.17 व 4318/0.88 की आराजी जीवणलाल, गोमी, गंगा पि. कल्याण ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2013 को वादीगण की माता कमला पत्नी भारमल जाट को विक्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र में केता का निवास स्थान देराठू अंकित हैं। वादीगण की माता द्वारा उक्त आराजी में से प्रत्येंक खसरा नम्बर का आधा रकबा क्रय किया है। केता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विकेता है। विकेता जीवण पुत्र कल्याण की मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 7 है। आराजी मुतनाजा विक्रय पत्र की पालना में केता के नाम व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज करनी थी। किन्तु विक्रयशुदा आराजी पुनः विकेतागण/वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 व 7 ने वाद के तथ्यों को स्वीकार कियां है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण/पूर्वज ने आराजी मुतनाजा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार से क्रय की थी। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विकेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। वादग्रस्त सम्पदा का कुछ हिस्सा बैंक के नाम रहन दर्ज है। किन्तु आराजी मुतनाजा पूर्व में विक्रय होने के कारण बैंक रहन का प्रभाव वादीगण के हितों पर नही पडेगा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4320/0.42, 4321/0.09, 4322/1.17 व 4318/0.88 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान
गोपाल सिंह बनाम गोमी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 235/2024
पेश करने की दिनांक – 05.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) –व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रणजीत रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4320/0.42, 4321/0.09, 4322/1.17 व 4318/0.88 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 02 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद